

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- /2019

1. जसकरणसिह } पि0 बलदेवसिह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी
2. बलकरणसिह } जिला हनुमानगढ। वादीगण

बनाम्

1. बलदेवसिह पुत्र गुरदयालसिह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. सुखदीपकौर पुत्री बलदेवसिह पत्नी निर्मलसिह जाति जटसिख निवासी मोरजंड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. कर्मजीतकौर पुत्री बलदेवसिह पत्नी बगड़सिह जाति जटसिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर प्रसाद वर्मा वकील वादीगण निन जानिन मुदई श्री करनैलसिह प्रतिवादीगण निन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि क. वादीसं0 1 जसकरणसिह को-चकनं0 13 जीजीआर के प0न0 188/281 मु0 62 किलानं0 5/1/.179 पूर्वी दिशा, 5/2/.032 पूर्वी दिशा, 6/1/.084, 7/.253, प0न0 188/283 मु0 80 किलानं0 16/1/.020 पूर्वी, 25/.100 है0 पूर्वी दिशा, प0न0 188/284 मु0 87 किलानं0 2/1/.228, 2/2/.025, 9/.253, 12/.253, 19/1/.203, 19/2/.025, चकनं0 14 जीजीआर के प0न0 188/287 मु0 7 किलानं0 14/.253, 15/1/.085 है0 उत्तरी दिशा कुल 1.993 है0 ख.वादीसं0 2 बलकरणसिह को-चकनं0 13 जीजीआर के प0न0 188/281 मु0 62 किलानं0 5/1/.036 पश्चिमी दिशा, 5/2/.006 पश्चिमी दिशा, 8/.253, 12/1/.084 है0, प0न0 188/283 मु0 80 किलानं0 16/1/.031 पश्चिमी दिशा, 25/.153 पश्चिमी दिशा, प0न0 188/284 मु0 87 किलानं0 1/1/.228, 1/2/.025, 10/.253, 11/.253, 20/1/.139, 20/2/.025 है0, चकनं0 14 जीजीआर के प0न0 188/287 मु0 7 किलानं0 17/.253, 15/1/.084 है0 दक्षिणी दिशा, कुल 1.823 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं0 13 जीजीआर के खाता सं0 173/82 व इसी चक के खाता सं0 171/140 में व चकनं0 14 जीजीआर के खाता सं0 114/46 में से प्रतिवादी सं0 1 बलदेवसिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुद्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
अदा करें।

बसवत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 07/10/19 को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी